10/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील परिवादी उप० हुए। वादी एवं प्रतिवादी गण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उक्त पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया। वादी की पहचान वकील आदि० ने एवं प्रतिवादी गण की पहचान प्रतिवादी अधि० द्वारा करवाई गयी। राजीनामा पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। वादी एवं प्रतिवादी गण के अधि० ने बहस में कथन किया कि प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री-निर्णय किये जाते है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं रिकॉर्ड तथा उभयपक्षकारान अधि० द्वारा की बहस का गहन अध्ययन एवं अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फाईल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 129 / 2025 | तारीख दायरा 01.08.2025 | तारीख फैसला 10.11.2025

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– सतीश चन्द्र आत्मज सूरजमल जाति अहीर यादव निवासी बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान।

(वादी)

बनाम

1– अरूण कुमार आत्मज सूरजमल जाति अहीर यादव
2– शशि कान्त आत्मज सुरजमल जाति अहीर यादव
3– आशिष आत्मज हरिशचन्द्र जाति अहीर यादव निवासीगण बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान।
4– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से –श्री कौशल किशोर वैष्णव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 662 की 6.78 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 तथा सभी के पिता सूरजमल आत्मज देवीलाल के नाम समान हिस्से से खाते दर्ज चली आ रही थी। जो उनकी स्वअर्जित भूमि थी। यह कि वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से अपने निहित हिस्से की वसीयत वादी के नाम दिनांक 01.02.2018 को आलेखित करवाई तथा सूरजमल जी यादव ने गवाहान के समक्ष सुन व समझ कर सही होना स्वीकार कर अपना निशानी अगूंठा किया तथा सूरजमल यादव के कहने पर दोनों गवाहान ने अपने बतोर गवाह के हस्ताक्षर किये। सूरजमल जी का दिनांक 26.04.2018 को देहावसान हो गया तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी व उसके गवाहान ने उक्त वसीयत को दिनांक 12.06.2018 को सब रजिस्ट्रार प्रथम कोटा के यहां पंजीयन करवा दिया। यह कि खातेदार सूरजमल यादव की मृत्यु के बाद वादी उक्त वसीयत की गयी भूमि पर वसीयती हकदार की हैसियत से काबिज हो गया। उक्त भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा व पिता की वसीयत से प्राप्त 1/5 हिस्सा यानी 2/5 हिस्से पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। सूरज मल जी के 1/5 हिस्से की भूमि पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस कारण वादी सूरज मल जी के 1/5 हिस्से की भूमि का वादी वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

के पिता का नाम सूरजमल यादव आत्मज देवीलाल है किन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र में मल यादव के स्थान पर सूरज नारायण यादव अंकित हो जाने के कारण प्रतिवादी नं0 4 टवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर वादी के नाम इंतकाल तस्दीक नहीं किया। जबकि भूमि में 2/5 हिस्से पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि राजस्व र्ड में मृतक खातेदार सूरजमल जी यादव का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नं0 1 ता ादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने लगे है। जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि वादी ने प्रतिवादी नं0 3 को सूरज मल जी का नाम स्व रिकार्ड से हटाने व वसीयत के आधार पर वसीयत की गयी भूमि वादी के नाम दर्ज ाने हेतु दिनांक 27.06.2025 को कहा तो प्रतिवादी नं0 3 ने वसीयत से इंतकाल तस्दीक ने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण वादी को 2/5 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में वधान पैदा करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने उक्त भूमि के किसी भाग को न बेचान कर दिया गया व वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दिया तो ादी को अपार क्षति होगी तथा वादी भूमि से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगें व दावा पेश रना ही बेकार हो जावेगा। यह कि प्रतिवादी नं 1 ता 3 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि तिवादी नं0 1 ता 3 वादी को उक्त 2/5 हिस्से की भूमि से वंचित करे और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान करें। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 4 द्वारा वसीयत के आधार पर वादी के नाम इंतकाल खोलने से इन्कार करने पर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा वादी के 2/5 हिस्से के कब्जे में व्यवधान पैदा करने पर दिनांक 27.06.2025 को उक्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी नं0 4 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0 4 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1. कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 662 की 6.78 हेक्टर भूमि में से 1/5 हिस्से की भूमि वादी को सूरजमल जी की वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड से सूरजमल जी यादव का नाम विलोपित किये जाने की आज्ञा व डिक्री प्रदान की जावे।

2. कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में अंकित ग्राम बडौद तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 662 की 6–78 हेक्टर भूमि में से 2/5 हिस्से की भूमि पर वादी को काश्त करने से नहीं रोके, बैदखल नहीं करे, तथा उक्त भूमि व उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे तथा वादी को भूमि से वंचित नहीं करे ।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-
नकल वसीयतनामा प्रति ग्राम बडौद
नकल जमाबन्दी प्रति ग्राम बडौद संवत 2075–2078

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु विधिवत सम्मन जारी ये। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री बलराम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल सल किया गया। वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से समझाईश कर आपस में जीनामा कर लिया है। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने राजीनामा पेश कर निवेदन या कि वाद राजीनामा अनुसार डिक्री निर्णय किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा हुआ, जो शामिल फाईल किया गया।

राजीनामा

यह कि उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। यह कि वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सगे भाई है, आज वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है कि ग्राम बड़ौद तहसील दीगोद जिला कोट, की खसरा नं0 662 रक्या 6.78 हेक्टर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में स्थित है, मे से वादी सतीश चन्द्र को खसरा नं0 662 रकबा 2.30 हेक्टर दक्षिण दिशा मे स्थित (प्रतिवादी कम 3 से पहले और प्रतिवादी कम 2 के बाद), प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा खसरा नं0 662 रकबा 1.28 हेक्टर उत्तर दिशा का और प्रतिवादी क्रम 2 शशि कान्त को खसरा नं0 662 रकबा 1.60 हेक्टर उत्तर दिशा मे (प्रतिवादी कम 1 के पहले) और प्रतिवादी क्रम 3 आशीष का खसरा नं0 662 रकबा 1.60 हेक्टर दक्षिण दिशा का (वादी से आगे वाला) भाग पर पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किये जाने मे वादी व प्रतिवादीगण को कोई उज्र व आपत्ति नहीं है, और पक्षकारान उपरोक्तानुसार विभाजन करते हुए वाद को निर्णित करा कर डिक्री कराना चाहते हैं। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त राजीनामा अनुसार विभाजन आराजी करते हुए वाद का निर्णय प्रदान फरमाया जावें।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद राजीनामा के आधार पर वाद को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम बड़ौद तहसील दीगोद जिला कोट, की खसरा नं0 662 रक्या 6.78 हेक्टर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में स्थित है, मे से वादी सतीश चन्द्र को खसरा नं0 662 रकबा 2.30 हेक्टर दक्षिण दिशा मे स्थित (प्रतिवादी कम 3 से पहले और प्रतिवादी कम 2 के बाद), प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा खसरा नं0 662 रकबा 1.28 हेक्टर उत्तर दिशा का और प्रतिवादी क्रम 2 शशि कान्त को खसरा नं0 662 रकबा 1.60 हेक्टर उत्तर दिशा मे (प्रतिवादी कम 1 के पहले) और प्रतिवादी क्रम 3 आशीष का खसरा नं0 662 रकबा 1.60 हेक्टर दक्षिण दिशा का (वादी से

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वाला) भाग पर पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा राजस्व
ई में अमल दरामद किया जावें। शेष यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौगोद